जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर दिनांक 11-09-2023

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 916/2023 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

<u>संक्षिप्त विवरण –</u>

दिनांक 08.09.2023 को वादी श्री आरिफ महमूद प्रधानाचार्य/अपर मुख्य नियंत्रक (मूल्यांकन केन्द्र) राजकीय पॉलीटेक्निक बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि मोहित कुमार पुत्र श्री होराम सिंह निवासी ग्राम तारुपुर अव्वल पोस्ट कैलसा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा के द्वारा छात्र सोमनाथ निषाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते हुए अंक बढाने के एवज में धनराशि की मांग की गयी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 916/2023 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाम मोहित उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

<u>कार्यवाही –</u>

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोहित कुमार पुत्र श्री होराम सिंह निवासी ग्राम तारुपुर अव्वल पोस्ट कैलसा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन (VIVO कम्पनी रंग काला) बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

मोहित कुमार पुत्र श्री होराम सिंह निवासी ग्राम तारुपुर अव्वल पोस्ट कैलसा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा

बरामदगी का विवरण –

मोबाइल फोन (VIVO कम्पनी रंग काला)

गिरफ्तार करने वाली टीम –

उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

कां0 1410 रवि अन्तिल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

थाना नगीना देहात पुलिस ने दो अभियुक्तों को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त नथुवा पुत्र निक्कू सिंह निवासी ग्राम ढकिया थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त दीपक पुत्र कुवंर सिंह निवासी ग्राम ढकिया थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 181/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम नथुवा उपरोक्त व मु0अ0सं0 182/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम दीपक कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- नथुवा पुत्र निक्कू सिंह निवासी ग्राम ढकिया थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2- दीपक पुत्र कुवंर सिंह निवासी ग्राम ढकिया थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

40 लीटर अवैध कच्ची शराब।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.मुख्य आरक्षी 31 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 1384 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

3. आरक्षी 716 देवकरन थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी 2025 शाहरुख खान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।